अरस्तू का दासता सिद्धान्त

Dr. Akhlak Ahmad
D.K. College Dumra

प्रश्न:- दासता सम्बन्धी अरस्तू के सिद्धान्त का मूल्यांकन करें।

उत्तर:- अरस्तू के दासता सम्बंधी विचार उसकी रूढ़िवादिता के प्रमाण हैं, क्योंकि, उस समय दास प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का एक विशेष अंग थी। यूनान का आर्थिक ढाँचा इस प्रकार था कि भूमि का स्वामित्व कुलीन परिवारों में था, जो परिश्रम नहीं कर सकते थे। उत्पादन का सारा कार्य दास ही किया करते थे। इनमें अधिकांश दरिद्र व्यक्ति तथा युद्ध बंदी सैनिक आदि थे। बाहरी देशों से पकड़कर भी इन्हें लाया जाता था। दासों की यह विशाल सेना वास्तव में राष्ट्रीय ~~संपत्ति~~ सम्पत्ति मानी जाती थी, क्योंकि इनके परिश्रम पर ही सारा देश जीता था। दास प्रथा यूनानियों के लिए उचित, आवश्यक, तथा अपरिहार्य थी, और उनकी सभ्यता की प्रतीक थी।

प्लेटो जैसे आदर्शवादी तथा क्रांतिकारी राजनीतिक दार्शनिक ने न तो दास प्रथा का विरोध किया और न ही उसका पक्ष-पोषण किया, लेकिन उनके महान शिष्य अरस्तू ने तो दास प्रथा का प्रबल समर्थन किया है।

अरस्तू ने दास प्रथा का वर्णन अपने पुस्तक "Politics" में किया है। दास प्रथा सम्बंधी अपने विश्लेषण में अरस्तू ने सर्वप्रथम दास के अर्थ को स्पष्ट किया है। उसने दास को पारिवारिक सम्पत्ति का एक भाग माना है। उसके अनुसार, "जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरे का है; दास है।" दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता है।

अरस्तू "Politics" में लिखता है कि "स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है, पर वह उसी का नहीं होता, इसके विपरित दास न केवल अपने स्वामी का दास ही होता है, बल्कि पूरा का पूरा उसी का होता है।"

अरस्तू का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य सम्पत्ति रखता है, उसी प्रकार वह दास भी रखता है। उसके अनुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है — सजीव तथा निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत तथा अन्य अचल संपत्ति आती है, जबकि सजीव संपत्ति में हाथी घोड़े, अन्य पशु एवं दास आदि सम्मिलित

Scanned with CamScanner

दासता के प्रकार :— अरस्तू दासता के दो प्रकार बताया है —

ब) स्वाभाविक दासता (Natural Slavery)

स) वैधानिक दासता (Legal Slavery)

जो व्यक्ति जन्म से ही मंद बुद्धि, अकुशल एवं अयोग्य होते हैं, वे स्वाभाविक दास कहलाते हैं। किसी भी राज्य में इस प्रकार की दासता स्वाभाविक दासता है।

इसके अतिरिक्त युद्ध में अन्य राज्य को पराजित कर लाए हुए बंदी भी दास बनाए जा सकते हैं। युद्ध बंदियों की इस प्रकार की दासता वैधानिक दासता कहलाती है। अरस्तू इस दासता से सहमत नहीं हैं, क्योंकि युद्धबंदी नैतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से उत्कृष्ट हो सकते हैं। खासकर यूनान वासियों के लिए और नहीं क्योंकि यूनानवासी पैदा ही हुए हैं शासन करने के लिए। यह स्वाभाविक दृष्टि से वैधानिक दासता को अमान्य ठहराता है।

दास प्रथा के आधार :— अरस्तू ने दास प्रथा के नैतिक तथा भौतिक दोनों पक्षों का समर्थन करते हुए उसके औचित्य को निम्न अनुसार सिद्ध किया है :—

1. दास-प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है — अरस्तू के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है। प्रकृति ने मनुष्य को मोटे रूपों में दो समूहों में बाँटा है, जिनकी आत्माओं में प्रकृति ने शासन करने व आज्ञा मानने का सिद्धान्त जमाया है।

अरस्तू का कहना है कि प्रकृति में सर्वत्र ही यह नियम दृष्टिगत होता है कि, उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से असमानता होती है। सभी मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता अथवा कौशल लेकर उत्पन्न नहीं होते। दासता इसी प्राकृतिक असमानता का परिणाम है। मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के योग्य हैं, और कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के। प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया उनमें बौद्धिक बल की, और जिन्हें दास बनाया उनमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है।

2. दासता स्वामी तथा दास दोनों के हित में है :— दास प्रथा का एक औचित्य अरस्तू यह बतलाता है कि यह स्वामी तथा दास

Scanned with CamScanner

दोनों के लिए हितकर है। स्वामी के लिए यह इसलिए है कि इसके द्वारा उसे सृजनशील कार्यों - राजनीतिक, कला, साहित्य इत्यादि के लिए प्रचुर अवकाश मिल जाता है। क्योंकि दास उसे आजीविका के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता से मुक्त कर देते हैं। एक विवेकशील व्यक्ति को खेती-बाड़ी वाणिज्य-व्यापार इत्यादि में लगे रहना उसके विवेक का अनादर तथा दुरुपयोग करना है।

अवकाश से अरस्तू का अभिप्राय खाली बैठे रहना नहीं है, बल्कि कार्यों में लगाना है, जैसे दर्शनशास्त्र का अध्ययन, राजनीति में भाग लेना, व्यायाम करना, साहित्य, विज्ञान तथा कलाओं का सृजन करना है।

दासता न केवल स्वामी के लिए हितकर है वरन् यह दास के लिए भी श्रेयस्कर है। जैसा कि दास लोग प्रकृति से ही विवेकशून्य होते हैं, अतः उनका विवेकशील स्वामियों के संपर्क में रहना उनके लिए अत्यधिक हितकर है। उससे उनका परिमार्जन और परिष्करण हो जाता है, और उनका जीवन भी अधिक सुरक्षित हो जाता है। जिस प्रकार शिशुओं को माता-पिता के संरक्षण की आवश्यकता है, उसी प्रकार दासों की भी। क्योंकि दास बौद्धिक दृष्टि से शिशुवत ही होते हैं। ऐसे संरक्षण के अभाव में दासों का जीवन संकट ग्रस्त हो जाएगा।

3. दासता संपूर्ण समाज के हित में है :- अरस्तू नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है :- अरस्तू का मत है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक स्तर में पर्याप्त मात्रा में भेद होता है। स्वामी गुणी तथा दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहें और दास का काम है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। दासों में गुणों का सृष्टि होना तभी स्वाभाविक है जबकि स्वामी और दास दोनों का संबंध हो एवं स्वामी दास का सम्बंध हो।

दास में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह अपने विवेक से अपनी वासनाओं को शासित कर सके। उसने कहा है कि "जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास सम्भव नहीं है।"

दास-प्रथा के बारे में अरस्तू की मानवीय व्यवस्था :- दास प्रथा की हिमायत करते हुए भी अरस्तू ने दासों की मानवीयता की उपेक्षा नहीं की है। उसने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि दासों के

Scanned with CamScanner

साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। और उनकी मानवता का आदर किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि एक स्वामी अपने दास को एक दास के रूप में तो नहीं, बल्कि एक मनुष्य के रूप में अपना मित्र बना सकता है। वह दासों की मुक्ति की भी व्यवस्था करता है

यदि कोई दास स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के योग्य बन जाए तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। दासता प्राकृतिक गुणों के कारण होती है, उसका कोई कानूनी पक्ष नहीं है, अतः इसे वंश-परम्परागत होने का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। दास की संतान में अगर विवेकशक्ति है तो वह दास नहीं है। दास की योग्य और बुद्धिमान संतान को मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

अरस्तू की दास-प्रथा की धारणा की आलोचना :— अरस्तू द्वारा प्रतिपादित दासता का सिद्धान्त अनेक त्रुटियों से पूर्ण है। इसकी आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है

i) बुद्धि और विवेक के आधार पर मानव जाति को दो भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता :— बुद्धिसम्पन्न तथा बुद्धिशून्य मनुष्यों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति निरपेक्षतः बुद्धिमान होने का दावा नहीं कर सकता, और सर्वथा बुद्धि रहित भी कोई व्यक्ति नहीं होता। अतएव प्राकृतिक श्रेष्ठता और निकृष्टता के आधार पर मानव जाति को स्वामी एवं दास की श्रेणी में विभक्त करना तर्कहीन और अन्यायपूर्ण है।

ii) बुद्धिहीनता और बुद्धिसम्पन्नता की कोई कसौटी नहीं है — हमारे पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि अमुक व्यक्ति किस श्रेणी का है। किसी व्यक्ति के बुद्धि की परख तभी हो सकती है, जब उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाए।

iii) समुचित अवकाश सभी को मिलना चाहिए :- अरस्तू समाज के कुछ ही लोगों को उनके बौद्धिक तथा नैतिक विकास के लिए अवकाश की बात करता है। परंतु, ऐसा अवकाश तो समाज के हर व्यक्ति को चाहिए न कि एक वर्ग विशेष को। हर व्यक्ति को बौद्धिक विकास, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकलाप में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए

vi) यह जातीय श्रेष्ठता के सिद्धान्त पर आधारित है।

iv) यह नैतिकता के समस्त सिद्धान्तों के विरुद्ध है — एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को दास बनाया जाना एक जघन्य तथा घृणास्पद व्यवस्था है यह नैतिकता के समस्त सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

v) यह सामाजिक एकता के लिए घातक है — जिस समाज में दास प्रथा होगी उसमें एकता कदापि नहीं रह सकती, जो कि आदर्श सामाजिक जीवन का आधार है

Scanned with CamScanner